

an>

Title: Regarding opening of a High Court Bench at Udaipur.

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदया, मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का संभाग मुख्यालय है। यह जनजाति बहुत्स क्षेत्र है और इस संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिनमें उदयपुर, दूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रापापगढ़, वितोड़गढ़, राजसमंद प्रमुख हैं। इस संभाग में 70 परसेंट से 75 परसेंट जनसंख्या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा शेड्यूल-5 टीएसपी परिया घोषित है।

यहां ग्रीष्म आदिवासियों को अपने न्याय एवं हक के लिए जोधपुर छाई कोर्ट जाना पड़ता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर छाई कोर्ट बैंच उदयपुर से लगभग छाई सौ से तीन सौ किलोमीटर दूर पड़ती है और उदयपुर से जोधपुर जाने के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। ग्रीष्म आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को अपने न्याय के लिए जोधपुर तक जाने में अत्यधिक समय और धन खर्च करना पड़ता है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ग्रीष्म आदिवासियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को सरता एवं मुलाश न्याय मिल रहे, इसके लिए उदयपुर संभाग मुख्यालय में छाई कोर्ट बैंच स्थापित जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शेरों प्रसाद शिशु और कुंवर पुष्पेन्द्र शिंह वर्तमेत को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।